प्रेस नोट दिनॉक- 30.08.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में टॉप-10, इनामिया, मफरूर/हिस्ट्रीशीटर/गैंगेस्टर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया के मार्गदर्शन मे निरीक्षक अपराध श्री सतीश कुमार पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा बम्बुरी मोड़ पुलिया के पास से टॉप-10 एवं गैंगेस्टर अपराधी रामू उर्फ शशिकुमार पुत्र राजकुमार निवासी खप्टिहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में मु0अ0सं0 190/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त रामू उर्फ शशिकुमार का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 154/13 धारा 41/411/414/413/472 भादवि0
2. मु0अ0सं0 126/15 धारा 386/323/504/506 भादवि0
3. मु0अ0सं 88/16 धारा 03 यू0पी0 गुंडा एक्ट
4. मु0अ0सं0 406/16 धारा 452/323/504/506/386 भादवि0 व 3(2)5 एससी
5. मु0अ0सं0 119/16 धारा 147/452/323/504/506/352/392 भादवि0
6. मु0अ0सं0 54/18 धारा 452/307/323/394/506 भादवि0
7. एनसीआर नं0 18/10 धारा 323/504/506 भादवि0
8. मु0अ0सं0 66/19 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट
9. मु0अ0सं0 57/19 धारा 379 भादवि0 मोटरसाइकिल चोरी 411/419/420/467/468/471 भादवि0
10. मु0अ0सं0 52/19 धारा 342/386/308 भादवि0
11. मु0अ0सं0 153/18 धारा 387 भादवि0
12. मु0अ0सं0 155/2020 धारा 324/504/506 भादवि0
13. मु0अ0सँ0 188/20 धारा 2/3गैंगेस्टर एक्ट
14. मु0अ0सं0 190/20 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. श्री सतीश कुमार पाण्डेय निरीक्षक अपराध थाना मऊ
2. उ0नि0 श्री धनन्जय राय
3. आरक्षी अनुज वर्मा

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरुकता एवं चैकिंग अभियान में दिनाँक 29.08.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना कोतवाली कर्वी में 17 व्यक्तियों एवं थाना मऊ में 06 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर किये गये। सभी से अपील की जाती है कि शासन के आदेशों निर्देशों का पालन करें।

(3). जनपद चित्रकूट पीआरवी 2046 थाना रैपुरा अंतर्गत दिनाँक 29/08/2020 को समय 16:08 बजे इवेंट संख्या 7950 द्वारा घटनास्थल लालापुर थाना रैपुरा से कॉलर (मोबाइल नंबर 9651775156) की कॉल ड्राप हो गई इतनी जानकारी मिल पाई है 18 साल की लड़की अज्ञात मिली है सुसाइड करने जा रही थी। इस सूचना पर पीआरवी

तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि एक लड़की सोना देवी पुत्री शिव प्रकाश विश्वकर्मा निवासी इटौरा थाना पहाड़ी की रहने वाली है। लड़की की अपने भाई से लड़ाई हो गई थी, जिससे लड़की सोना घर से भाग कर आत्महत्या करने के लिये लालापुर आ गई थी लड़की को गांव वाले ने देख लिया और अपने साथ गांव ले आये। पीआरवी कर्मियों ने मौके पर पहुंच कर लड़की सोना देवी को समझाया और घटना के संबंध में थाना प्रभारी को भी बताया गया । मौके पर उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता व महिला आरक्षी रेखा देवी आ गई थी लड़की को थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया।

पीआरवी स्टाफः-

कमांडर – मुख्य आरक्षी आशाराम

सब कमांडर - आरक्षी देव सिंह भदौरिया

पायलट – मुख्य आरक्षी नूर मोहम्मद

(4). आज दिनांक 30.08.2020 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री प्रकाश स्वरुप पाण्डेय द्वारा थाना मारकुंडी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आगन्तुक रजिस्टर, महिला हेल्प-डेस्क रजिस्टर, कोरोना रजिस्टर, रजिस्टर नं0 8 व 4, पुरुस्कार घोषित रजिस्टर, मफरुर रजिस्टर, चैक किया गया गया।

बाद निरीक्षण महोदय द्वारा थाना मारकुण्डी के विवेचकों का अर्दली रूम किया गया। अर्दली रुम में लंबित विवेचना के निस्तारण एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये। दुराचारीओं के संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया, जो दुराचारी किन्हीं अन्य जनपद में अथवा प्रदेश में जाकर बस गए हैं उनकी हिस्ट्रीशीट संबंधित स्थानों को भेजने के भी निर्देश दिये गये। बाद अर्दली रुम ग्राम डोडामाफी गांव में भ्रमण किया गया। ग्राम डोडामाफी के दो प्रचलित दुराचारी यों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये।